# उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

-------

शनिवार, 21 माघ, शक संवत् 1945

(10 फरवरी, 2024)

-------

**समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न**

1-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक को सदन की मेज पर रखेंगे :-

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

2-उप मुख्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-25/71-4099-192-2021, दिनांक 17-02-2023 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् नियमावली, 2023 को राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा-68(3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

3-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के अट्ठारहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

4-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-इंदरपुर (हजारीपुर), पोस्ट-शाहपुर चौसा, विकास खण्ड-सिटी, जनपद-मिर्जापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी ‘क’)

5-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

6-उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

7-स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

8-स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

9-वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (तृतीय दिवस)।

लखनऊ :
शनिवार, 21 माघ, शक संवत् 1945
(10 फरवरी, 2024)

आज्ञा से,
**डा0 राजेश सिंह,**
प्रमुख सचिव।

# नत्थी 'क'

**याचिका की प्रतिलिपि**
**(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)**

सेवा में,
माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

**विषय** :-जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-सिटी, पोस्ट-शाहपुर चौसा, ग्राम पंचायत-इंदरपुर (हजारीपुर) के पश्चिम दिशा में स्थित नहर की पुलिया से जी0एस0डी0 पब्लिक स्कूल तक लगभग 600 मीटर सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-इंदरपुर (हजारीपुर), पोस्ट-शाहपुर चौसा, विकास खण्ड-सिटी, जनपद-मिर्जापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-इंदरपुर (हजारीपुर) के पश्चिम दिशा में स्थित नहर की पुलिया से जी0एस0डी0 पब्लिक स्कूल तक लगभग 600 मीटर मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां के निवासियों को बरसात के दिनों में मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

--------

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।